भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 43
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल नुकसान का कवरेज

***43. श्रीमती शांभवी:**
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दायरे में वन्य पशुओं के हमलों से होने वाले फसलों के नुकसान और धान की फसल के जलमग्न होने के परिणामस्वरूप होने वाले फसलों के नुकसान सहित कौन-कौन से विशिष्ट नए जोखिम शामिल किए गए हैं;
(ख) संवेदनशील जिलों और पशु प्रजातियों को अधिसूचित करने में राज्य सरकारों की भूमिका सहित वन्य पशुओं के हमले संबंधी उपबंध के अंतर्गत किसान किस तंत्र के माध्यम से मुआवजे का दावा कर सकते हैं;
(ग) धान की फसल के जलमग्न होने की स्थिति को स्थानीय आपदा कवर के रूप में पुनः शामिल किए जाने के मानदंड और औचित्य क्या हैं और इससे किन-किन क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है;
(घ) खरीफ 2026 से इस विस्तारित दायरे को लागू करने के लिए क्या समय-सीमा है और कौन सा ढांचा कार्यशील है; और
(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जोखिम के इस विस्तारित दायरे से अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए समावेशिता, जवाबदेही और समग्र सुरक्षा में वृद्धि होगी?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल नुकसान का कवरेज” के संदर्भ में लोक सभा में 03 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 43 के भाग (क) से (ङ) तक के संबंध में उललिखित विवरण।

(क) से (ङ): देश में वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है। यह योजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से फसलोपरांत तक, अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। जंगली जानवरों के कारण होने वाले फसल नुकसान को रोकथाम योग्य प्रकृति का होने के कारण पहले इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों को व्यक्तिगत आकलन के आधार पर जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान को एडआन कवर के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस प्रकार के कवरेज के लिए योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में विस्तृत प्रोटोकॉल दिया गया है।

PMFBY के अंतर्गत अधिसूचित सभी फसलों के लिए जलभराव से होने वाले नुकसान हेतु रिस्क कवर उपलब्ध है। हालाँकि धान, जूट, मेस्ता और गन्ना जैसी हाइड्रोफिलिक फसलों के लिए भी ऐसा कवर उपलब्ध है, सिवाय स्थानीय स्तर पर किए गए दावों के।

विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की ओर से स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत इन खतरों को शामिल करने के अनुरोधों पर विचार करते हुए, “स्थानीय जोखिम के तहत जंगली जानवरों के हमले और धान की फसल के जलप्लावन से पहुंचने वाले फसल नुकसान की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए” एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने इन जोखिमों को कवर करने के लिए सिफारिशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

*****